इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा

(नियम-6)

क्र. एफ-21-06-2015-एक-10.—यतः, यह अभिकथित किया गया है कि डॉ. विनोद लहरी, शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं डॉ. श्रीमती विद्या लहरी, शल्य क्रिया चिकित्सक, शासकीय चिकित्सालय नागदा, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश राज्य में शल्य क्रिया विशेषज्ञ, शासकीय चिकित्सालय नागदा, जिला उज्जैन का पद धारण करते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 27 सन् 2012 को मामले का अन्वेषण किया गया था;

और, यतः, अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि डॉ. विनोद लहरी एवं डॉ. श्रीमती विद्या लहरी, पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है;

और, यतः, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

इस संबंध में राज्य शासन, एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक घोषणा दिनांक 09 सितम्बर 2015 निरस्त की जाती है.

स्थानः भोपाल
तारीख 8 दिसम्बर 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.